पर्यवेक्षण के चैनल अंतर्गत निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

क्षेत्र इकाई स्तर पर गतिविधियों का पर्यवेक्षण विभिन्न ग्रेडों में संबंधित पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाता है। विद्युत बिजली आपूर्ति प्रणाली के लिए, जेई /पावर /बीकानेर, एसएसई/पावर/लालगढ, एसएसई/पावर/रतनगढ, एसएसई/पावर/सादुलपुर, एसएसई/पावर/हिसार, एसएसई/पावर/ भिवानी, एसएसई/पावर/सुरतगढ, जेई/पावर/हनुमानगढ, एसएसई/पावर/श्रीगंगानगर, एसएसई/पावर/चुरू, और जेई/पावर/सिरसा के रूप में 11 डिपो प्रभारी हैं ।, जो डिपो संचालन और रखरखाव गतिविधियों का प्रबंधन करते हैं और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति की उपलब्धता बनाने के लिए दिन-प्रतिदिन अपने स्तर पर निर्णय लेते हैं । एसी कोचों के साथ-साथ गैर-एसी कोचों के रखरखाव और सुचारू संचालन के लिए एसएसई/कोचिंग, बीकानेर , एसएसई/ कोचिंग,लालगढ, एसएसई/ कोचिंग,श्रीगंगानागर, एसएसई/ कोचिंग,हिसार और एसएसई/ कोचिंग, भिवानी के 05 डिपो हैं । असाधारण मामले जहां इन स्तरों पर निर्णय संभव नहीं हैं, इस मामले को उच्च अधिकारियों यानी सहा.मंडल बिजली इंजीनियर/सा. को भेजा जाता है । इसके अतिरिक्त प्रमुख निर्णय जैसे नीतिगत निर्णय, कर्मचारी कल्याण, पदों का सृजन, अतिरिक्त संपत्ति, सुविधाओं का निर्माण आदि का निर्णय शाखा अधिकारी यानी वरि. मंडल बिजली इंजीनियर/सा. द्वारा लिया जाता है । वे निर्णय जो वरि. मंडल बिजली इंजीनियर/सा.की क्षमता से परे हैं, उनको अपर मंडल रेल प्रबंधक या मंडल रेल प्रबंधक को रेफर किया जाता है या मामले का उच्च स्तर पर आगे निपटान के लिए जोनल मुख्यालय भेजा जाता है।